

राष्ट्रीय फ़िल्म संग्रहालय
NATIONAL FILM ARCHIVE OF INDIA
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
भारत सरकार, लॉ कॉलेज रोड, पुणे - 411 004
GOVERNMENT OF INDIA, LAW COLLEGE ROAD, PUNE - 411 004
टेलिफोन / Telephone : 25658253

बच्चों की फ़िल्म क्लब सदस्यता का फॉर्म (2009) CHILDREN'S FILM CLUB MEMBERSHIP FORM (2009)
(विनियम पिछले पृष्ठपर) (Regulations overleaf)

पूरा नाम /Name in Full : _____
(in capital letters)

जन्म दिनांक / Date of Birth : _____

पालकों के नाम - माता - पिता

Name of parents : Father : _____

Mother : _____

पता / Address : _____

टेलिफोन / Telephone No. : _____ इमेल आय.डी. / Email ID : _____

स्कूल का नाम, पता तथा किस कक्षा में पढ़ते हो। /

Name of the School, Address & Class in which Studying : _____

बैंक का नाम _____ डिमांड ड्राफ्ट नंबर _____
Name of the Bank _____ Demand Draft No. _____

दिनांक / Date _____ राशि / Amount _____

विद्यालय के प्राधिकारी के हस्ताक्षर तथा मुहर

Signature of School Authority with seal

पालक के हस्ताक्षर

Signature of Parent

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Signature of Student

कार्यालयीन उपयोग के लिए /For office use only

सदस्यता क्र. /Membership No.

ग्रं.एवं सू. स. /LIA

निदेशक /Director

विनिमय / REGULATIONS

1. दो पहचान पत्र साईज के फोटोग्राफ्स संलग्न करें।
Please enclose two copies of I-Card size photographs.
2. एक बच्चे के लिए सदस्यता शुल्क रू. 500/- होगा।
The membership fee for a year is Rs. 500/- for the Child.
3. सदस्यता का शुल्क डिमान्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर्स चेक द्वारा प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय के नामपर दें।
The membership fee may be paid by Demand Draft/Pay Order/Banker's Cheque drawn in favour of Administrative Officer, National Film Archive of India, Pune
4. सदस्यता सिर्फ एक साल के लिए वैध है। (जनवरी से दिसम्बर, 2009)
The membership will be valid for the period of one year (January to December, 2009)
5. एक बार भुगतान किया तो उसे लौटाया नहीं जायेगा।
Payment once made is not refundable.
6. केस की योग्यता पर अनुलिपि कार्ड जारी किये जायेंगे। अर्जी के साथ रू. 100/- का भुगतान करनेवाले को ही अनुलिपि कार्ड जारी करने हेतु विचारधीन किया जायेगा।
The decision to issue duplicate cards will depend on the merits of the case. Application for duplicate cards will be entertained only if accompanied with a remittance of Rs. 100/-.
7. थिएटर में जूते अन्दर ले जाना मना हैं।
Footwear is not allowed inside the Auditorium.
8. थिएटर में खाने की चीजें तथा पानी की बोतलें ले जाना मना हैं।
Eatables or water bottles are not allowed inside the Auditorium.
9. थिएटर में मोबाईल फोन बंद रखे अथवा सायलेन्ट मोड पर रखे।
Mobile Phones should be kept on silent mode or switched off in Auditorium.
10. अन्य सदस्यों की शान्तिभंग न करने के लिए वक्त पर पहुँचे।
Please ensure timely arrival to avoid disturbance to other members.
11. गाडीयाँ पार्क करने के लिए थिएटर के पिछे जगह बनाई गई हैं।
Parking of vehicles is allowed in the place provided (behind the auditorium)
12. आगंतुक व्यक्ति को प्रवेश मना है, उनको रू. 100/- प्रति व्यक्ती के भुगतान करने पर ही प्रवेश दिया जायेगा।
Guest are not allowed. Guest only on prior written permission on payment of Rs. 100/- per person.
13. त्रैमासिक कार्यक्रम ई-मेल पर ही सूचित किया जायेगा, यदि इमेल आय.डी. न हो तो सदस्य को कार्यालय मे आकर लेना होगा।
Quarterly programme will be intimated by e-mail only. If e-mail ID is not available, then member may collect programme from NFAI.
14. थिएटर में सबसे आखरी लाईन के सीटे सिर्फ रा.फि.सं. के अधिकारी/गेस्ट के लिये आरक्षित हैं।
Last row in the auditorium is RESERVED only for NFAI officials and invitees.